

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा)/ रसायन विज्ञान (छात्र)/2015-16/1163 दिनांक: 24.07.2018 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - रसायन विज्ञान पे मैट्रिक्स लेवल L-12 पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक रसायन विज्ञान (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - रसायन विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (12) डीओपी / ए-11 / 2005 दिनांक: 20.01.2006 एवं एफ 12 (06) एफडी (नियम) / 2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 15 (1) एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कर्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8 (1) कर्मिक / क - 2 / 03 दिनांक: 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

क्र. सं.	वर्ग	मेरिट नं.	आशार्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान पता	पदस्थापन स्थान (राजनाम)	जिला
1	GE, WE	349	ज्योति श्रृंगी	कैलाश चन्द्र श्रृंगी	24-03-1980	वीपीओ लेसरदा, तह.केशवराय पाटन, बून्दी	G.G.SR.SEC. SCH. CHHIPABAROD, CHHIPABAROD (08310516257) (CHHABRA)	BARAN
2	GEN, WE, RG, NG	369	रूपिन्द्र पुनियाणी	महेन्द्र लाल पुनियाणी	11-10-1975	4 E/153, जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर	GOVT-SR.SEC.SCHOOL, MALASAR, BIKANER (08030100101)	BIKANER
3	BC, WE	536	अनिता कुमारी नागर	रामनारायण	22-04-1990	गॉव कलोटिया, पोस्ट सलोतिया तहसील पिडावा जिला झालावाड	GSSS GIRLS BHAWANIMANDI, BHAWANIMANDI (08320814801) (DAG (SC))	JHALAWAR
4	BC, WE, RG	548	सावित्री	राधेश्याम काजला	05-08-1986	भगतसिंह कॉलोनी घूमचक्कर, नवलगढ़ जिला झुझुं	GOVT.ADARSH SR.SEC.S.PARASRAMPURA, NAWALGARH (08050707806) (NAWALGARH)	JHUNJHUNU

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-

- अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
- अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य

पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

03. भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किये जाने सम्बंधी अधिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या डी. बी. सी. डब्ल्यू. एल. 6046/99 रतनलाल बागड़ी बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा निरस्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन के कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 17(9)कार्मिक/क-2/2015 के अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2015 से भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवायें।
04. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
05. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
06. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवायें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
07. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /96 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
08. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट <http://education.rajabasthan.gov.in/Secondary> एवं <http://rajirmsa.nic.in> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैम्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अध्यधीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व

अन्य के अन्तर्गत एस.एल.पी. संख्या 14306-14310/2017 पारित आदेश दिनांक: 03.05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2015 विषय गणित(छात्र) के पूर्व घोषित परिणाम दिनांक: 21.06.2017 के अतिक्रमण में दिनांक: 04.07.18 को जारी किये गये नवीनतम परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के आधार पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक: **17-08-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।



(नथमल डिलेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :- 06.08.18

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-4/नियुक्ति-रसायन विज्ञान/पीएससी-15/2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
02. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
03. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
04. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
05. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु
06. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
07. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएससी प्रभाग कार्यालय हाजा।
08. निजी/रक्षित पत्रावली





संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक-- (स्कूल शिक्षा)/ रसायन विज्ञान (छात्र)/2015-16/1163 दिनांक: 24.07.2018 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - रसायन विज्ञान पे मैट्रिक्स लेवल L-12 पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक रसायन विज्ञान (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - रसायन विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (12) डीओपी / ए-ग / 2005 दिनांक: 20.01.2006 एवं एफ 12 (06) एफडी (नियम) / 2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 15 (1) एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कर्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8 (1) कर्मिक / क - 2 / 03 दिनांक: 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

क्र. सं.	वर्ग	मैरि ट नं.	आशार्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान पता	पदस्थापन स्थान (राजस्थान)	जिला
1	SB,WE	0	मंजूबाला	ख्यालीराम गुर्जर	01-02-1990	वीपीओ पाथरेडी, तह. कोटपूतली, जयपुर	GOVT ADARSH SR.SEC.SCH. DHANI GAISKAN, VIRATNAGAR (08120207705)(VIRATNAGAR)	JAIPUR
2	SB,WE	0	सरोज कुमारी	एच.एस.गुर्जर	22-04-1990	ग्राम पोस्ट टोरडा गुजरान बाया पावटा तह. कोटपूतली, जयपुर	GOVT SEN.SEC.SCH. ANTELA, VIRATNAGAR (08120200614)(VIRATNAGAR)	JAIPUR
3	SB,RG	0	शशिकान्त	कानसिंह	16-09-1987	ग्राम पोस्ट बीबासर जिला झुझनु	GOVT.SR.SEC.SCH., CHILANADI, PATODI (08171400701)(BAYTOO)	BARMER
4	SB	0	रामायतार कालश	डूंगाराम	10-01-1988	डाणी-बूर्गानाला ग्राम पोस्ट जीलो तह.नीमकाधाना, जिला सीकर	GOVT. SR. SEC. SCH. GADIYA BHADAR, SIMALWARA (08270522702)(CHORASI (ST))	DUNGARPUR

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-

01. अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

02. अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र नान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही नान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
03. भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किये जाने सम्बंधी अधिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या डी. बी. सी. डब्ल्यू. एल. 6046/99 रतनलाल बागड़ी बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा निरस्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन के कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 17(9)कार्मिक/क-2/2015 के अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2015 से भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाये।
04. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
05. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
06. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवावे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
07. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
08. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवे कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट <http://education.rajasthan.gov.in/Secondary> एवं <http://rairmsa.nic.in> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तियां पूर्णतया अस्थायी (temporary) आधार पर रहेंगी तथा नियुक्त अभ्यर्थी संबंधित पद पर स्थायीकरण (confirmation) का अधिकारी नहीं होगा। उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैम्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित

अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अध्ययधीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस.एल.पी. संख्या 14306-14310/2017 पारित आदेश दिनांक: 03.05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2015 विषय गणित(छात्र) के पूर्व घोषित परिणाम दिनांक: 21.06.2017 के अतिक्रमण में दिनांक: 04.07.18 को जारी किये गये नवीनतम परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के आधार पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक: **17-08-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।



(नथमल डिडेल)

आई.एस.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :- 06.08.18

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-4/नियुक्ति-रसायन विज्ञान/पीएससी-15/2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
02. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
03. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
04. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
05. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
06. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
07. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएससी प्रभाग कार्यालय हाजा।
08. निजी/रक्षित पत्रावली



सुब्रत-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा)/जीव विज्ञान (छात्र)/2015-16/1165 दिनांक: 24.07.2018 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - जीवविज्ञान पे मैट्रिक्स लेवल L-12 पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक जीव विज्ञान (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - जीव विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (12) डीओपी / ए-11 / 2005 दिनांक: 20.01.2006 एवं एफ 12 (06) एफडी (नियम) / 2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 15 (1) एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कर्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8 (1) कर्मिक / क - 2 / 03 दिनांक: 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

क्र. सं.	वर्ग	मेरिट नं.	आशार्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्तमान पता	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान (राजमादि)	जिला
1	SC,WE	482	पूनम नारनोलिया	मानराज सिंह	01-07-1990	पिपराली रोड, समर्थपुरा स्कूल के सामने, जिला सीकर	SCM	GOVT.SR.SEC.SCH., NAGAWA, DHOD (08130304811)(DHOD (SC))	SIKAR
2	ST,RG,NG	54	विजयसिंह मीना	देवचन्द मीना	01-08-1987	ग्राम पोस्ट औण्डमीना, तह.-महवा, जिला दौसा	STM	Govt. Senior Secondary School TODABHIM, TODABHIM (08090318304)(TODABHIM (ST))	KARAULI

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-

01. अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
02. अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

03. भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या डी. बी. सी. डब्ल्यू. एल. 6046/99 रतनलाल बागड़ी बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा निरस्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन के कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 17(9)कार्मिक/क-2/2015 के अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2015 से भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवायें।
04. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बन्धी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
05. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
06. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवायें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
07. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
08. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट <http://education.rajabasthan.gov.in/Secondary> एवं <http://rajirmsa.nic.in> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैम्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अध्यक्षीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस.एल.पी. संख्या 14306-14310/2017 पारित आदेश दिनांक: 03.05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2015 विषय गणित(छात्र) के पूर्व घोषित परिणाम दिनांक: 13.06.2017 के अतिरिक्त दिनांक: 05.07.18 को जारी किये गये नवीनतम परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा

आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के आधार पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक: **17-08-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।



(नथमल डिहोल)

आई.एस.

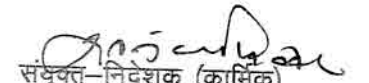
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :- 06.08.18

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-4/नियुक्ति-जीव विज्ञान/पीएससी-15/2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
02. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
03. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
04. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
05. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु
06. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
07. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएससी प्रभाग कार्यालय हाजा।
08. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

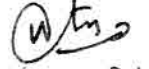
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा)/जीव विज्ञान (छात्र)/2015-16/1165 दिनांक: 24.07.2018 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - जीवविज्ञान पे मैट्रिक्स लेवल L-12 पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक जीव विज्ञान (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - जीव विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (12) डीओपी / ए-11 / 2005 दिनांक: 20.01.2006 एवं एफ 12 (06) एफडी (नियम) / 2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 15 (1) एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कर्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8 (1) कर्मिक / क - 2 / 03 दिनांक: 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

क्र. सं.	वर्ग	मेरिट नं.	आशार्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान पता	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान (राउनावि)	जिला
1	SB	0	सीताराम	हरिराम गुर्जर	07-10-1990	ढाणी भखरीजा, गाँव-त्योन्दा तहसील-खेतड़ी (झुंझु)	0	ADARSH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PIPALKHUNT, PEEPALKHOOT (08330200119)(GHATOL (ST))	PRATAPGARH

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-

01. अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
02. अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
03. भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किये जाने सम्बंधी अधिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या डी.

आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के आधार पर पदस्थापित किया जाता है।
इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक: **17-08-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य
होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत
किये गये दस्तावेज सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

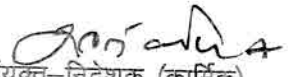
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/ना/संस्था/सी-4/नियुक्ति-जीव विज्ञान/पीएससी-15/2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक :- 06.08.18

01. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
02. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
03. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
04. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
05. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
06. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
07. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएससी प्रभाग कार्यालय हाजा।
08. निजी/रक्षित पत्रावली




संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर